

कार्यालय उप पंजीयन सहकारी समितियाँ, जालपुर

: पंजीयन का प्रमाण पत्र :

यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.सहकारी समितियाँ  
आधिनियम १९६० : क्रमांक १७ सन १९६१ : की धारा ७ के अंतर्गत

~~आयुक्त निमित्त करमिनी गृह मंत्राली सहकारी~~  
~~समिति कदमि करमिनी~~ जिला : जालपुर का पंजीयन के लिये प्रस्तुत

किया गया आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया गया है तथा आधिनियम की धारा  
६ के अंतर्गत समिति के पंजीकृत उपनिधियों में विहित उपधियों के अन्तर्गत,  
उक्त तस्मा का पंजीयन प्राप्त है ।

पंजीयन प्रमाणित किया जाता है दिनांक ०७/०५/२०११

जालपुर, दिनांक ०७/०५/२०११

उप पंजीयक

सहकारी समितियाँ

जालपुर (म.प्र.)

